

नीति आयोग को प्रतिनियुक्ति(अल्पकालिक संविदा सहित)/प्रोन्नति आधार पर संयुक्त सलाहकार/ उप-सलाहकार के पदों पर नियुक्ति के लिए ऐसे उपयुक्त अधिकारी (अधिकारियों) की सेवाओं की आवश्यकता है जिनके पास निम्नलिखित अनुच्छेदों में उल्लिखित शैक्षिक अर्हताएं, अनुभव और सेवा-काल हो। इन पदों के लिए चयन संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा किया जाएगा।

1. रिक्तियों की संख्या: 07 सात (अनंतिम)
2. शैक्षिक अर्हताएं

अनिवार्य

मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री या एमबीबीएस या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में डिग्री या इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) की संस्थागत परीक्षा के खंड 'ए' और 'बी' में उत्तीर्ण; या प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (द्विवर्षीय)।

वांछनीय

किसी भी विधा में डॉक्टरेट या इंजीनियरी में मास्टर डिग्री।

3. पात्रता शर्तें (अंतिम तारीख के अनुसार)

(क) प्रतिनियुक्ति के लिए

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासनों या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों या अनुसंधान संस्थाओं या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्तशासी संगठनों या सांविधिक संगठनों के अधिकारी।

संयुक्त सलाहकार: स्तर 13

- (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 [78800-209200 रु.] या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात्, उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है।

अनिवार्य अनुभवः

नीति, कार्यक्रम या परियोजनाओं के निर्माण, मूल्यांकन, निष्पादन या कार्यान्वयन, अनुसंधान, निगरानी और मूल्यांकन में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव (जिसमें पीएचडी के लिए तीन वर्ष की अवधि शामिल होगी किंतु इन तीन वर्षों को कार्य अनुभव में नहीं गिना जाएगा)।

उप-सलाहकारः स्तर 12

- (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 [67700-208700 रु.] या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात्, उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है।

अनिवार्य अनुभवः

नीति, कार्यक्रम या परियोजनाओं के निर्माण, मूल्यांकन, निष्पादन या कार्यान्वयन, अनुसंधान, निगरानी और मूल्यांकन में न्यूनतम आठ वर्ष का अनुभव (जिसमें पीएचडी के लिए तीन वर्ष की अवधि शामिल होगी किंतु इन तीन वर्षों को कार्य अनुभव में नहीं गिना जाएगा)।

(ख) संयुक्त सलाहकार और उप सलाहकार के पदों पर प्रोन्नति के लिए

संयुक्त सलाहकार

वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 [78800-209200रु.] में कार्यरत नीति आयोग के ऐसे विभागीय उप सलाहकारों जिन्होंने नियमित आधार पर इस पद पर, नियुक्ति के पश्चात्, उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है और जिनके पास पूर्ववत पैराओं [पैरा 2 एवं 3(क)] में यथा विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं और जिन्होंने नीति आयोग द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट सुसंगत विषय या क्षेत्र में 2-4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, पर भी बाह्य व्यक्तियों के साथ-साथ विचार किया जाएगा और यदि संयुक्त सलाहकार के पद पर नियुक्ति के लिए किसी विभागीय उप सलाहकार का चयन किया जाता है तो इस पद को प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा।

उप-सलाहकार

वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 [67700-208700रु.] में कार्यरत नीति आयोग के ऐसे विभागीय वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी जिन्होंने नियमित आधार पर इस पद पर, नियुक्ति के पश्चात्, उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है और जिनके पास पूर्ववत पैराओं [पैरा 2 एवं 3(क)] में यथाविहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं और जिन्होंने नीति आयोग द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट सुसंगत विषय या क्षेत्र में 2-4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, पर भी बाह्य व्यक्तियों के साथ-साथ विचार किया जाएगा और यदि उप-सलाहकार के पद पर नियुक्ति के लिए किसी विभागीय वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी का चयन किया जाता है तो इस पद को प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा।

नोट: "प्रदायक (फीडर) श्रेणी के विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति के सीधे क्रम में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (आईएसटीसी) के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, जो प्रतिनियुक्ति पर हैं, वे प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।"

4. वेतनमान:

संयुक्त सलाहकार: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 (1,23,100 रु. - 2,15,900रु.)

उप-सलाहकार: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78,800 रु. - 2,09,200 रु.)

5. पात्रता निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि:

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख अर्थात् रोजगार समाचार में इस रिक्ति नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 45 दिन, पात्रता निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख होगी।

6. आयु सीमा (आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के अनुसार):

(i) प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए आयु, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ii) अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि होगी।

7. संयुक्त सलाहकार/उप-सलाहकार का कार्य विवरण

"विभिन्न सरकारी नीतिगत अंतःक्षेपों के अनुरूप, संगत क्षेत्र में नीतिगत कार्यक्रमों/परियोजनाओं के विकास और अग्रोषण हेतु सहायता करना; नीति अनुसंधान और साक्ष्य-आधारित विश्लेषण के प्रारम्भ/प्रबंधन, बैठकों और कार्यशालाओं के आयोजन, ज्ञान, अनुभव और सर्वोत्तम कार्यशैलियों को साझा करने, हितार्थियों के बीच सहमति कायम करने और संगत क्षेत्र में सुधार के समर्थन, कार्यक्रम/परियोजना कार्यान्वयन तथा परिणामों संबंधी सूचना को अद्यतन रखने में सहायता करना, नीतिगत कार्यक्रमों के उत्पादों और परिणामों के प्रभारी संचार और प्रसार के प्रबंधन और सुनिश्चयन में सहायता करना; विभिन्न मंत्रिमंडल नोटों, एसएफसी/ईएफसी नोटों और लाइन मंत्रालयों से प्राप्त किसी अन्य मुद्दों के मामले में विश्लेषण और इनपुट प्रदान करने में सहायता देना। वटिकल और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए सार-संक्षेप और स्पीकिंग नोट तैयार करने में सहायता करना; सहयोगपूर्ण संघवाद को सशक्त करने के लिए अन्य प्रभागों, लाइन मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्रों के साथ कार्य संबंध विकसित करने और बनाए रखने में संपर्क माध्यम बनना।"

8. प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पावधि संविदा सहित)

इसी या केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले अन्य संवर्गतर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पावधिक संविदा सहित) सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पावधिक संविदा सहित) सामान्यतः चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति के नियम और शर्तें भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.जा. संख्या 6/8/2009-स्था.(वेतन II), दिनांक 17.6.2010, समय-समय

पर यथासंशोधित में उल्लिखित आदेशों के अनुरूप विनियमित होंगी और अल्पकालिक सविदा पर आने वालों के लिए शर्तें संबंधित प्राधिकारी के साथ परामर्श से नियत की जाएंगी।

9. सामान्य शर्तें

- क. केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा सघ राज्यक्षेत्रों अथवा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों अथवा अनुसंधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्रक उपकरणों अथवा स्वायत्त संगठनों अथवा सांविधिक संगठनों के अधिकारी विहित प्रपत्र में उचित माध्यम से आवेदन करें।
- ख. अभ्यर्थियों को अपने आवेदन में दिए ब्यौरे का यथावश्यक होने पर प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
- ग. पैरा-2 में यथोल्लिखित अनिवार्य अर्हताएं न्यूनतम हैं और केवल इनके होने मात्र से अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का दावा नहीं बनता।
- घ. उपर्युक्त पात्रता शर्तें पूरी करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें चयन होने की सूचना दिए जाने के एक माह के भीतर नए कार्यभार के लिए छोड़ा जा सकता है, विहित प्रपत्र (अर्थात् परिशिष्ट-1 जो अभ्यर्थी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और कार्यालय प्रमुख अथवा हस्ताक्षर के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो) में उनके आवेदन (दो प्रतियों में) संबंधित अभ्यर्थी की पिछले पाँच उपलब्ध वर्षों की अद्यतन गोपनीय रिपोर्ट/एपीएआर डोजियर अथवा वार्षिक गोपनीय/वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों के साथ अग्रेषित किए जाएं जो भारत सरकार के कम से कम अवर सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित हों।
- ङ. आवेदन (दो प्रतियों में) विहित प्रपत्र में एवं हर तरह से पूर्ण रोज़गार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशित होने की तारीख से 45 दिन के भीतर अवर सचिव (प्रशासन 1क और 11), नीति आयोग, कमरा सं. 416, नीति भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली के पास पहुंच जाना चाहिए। केवल उचित माध्यम से और हर तरह से पूर्ण ऐसे आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा जो आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख तक प्राप्त हो गए हों। आवेदन वाले लिफाफे के ऊपर "नीति आयोग में संयुक्त सलाहकार अथवा उप-सलाहकार पद हेतु आवेदन" स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। नीति आयोग उचित माध्यम से न भेजे गए अथवा अपेक्षित प्रमाणपत्रों और दस्तावेजों के बिना भेजे गए तथा अंतिम तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं करेगा।

नोट: चूंकि रिक्तियां प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)/पदोन्नति आधार पर भरी जानी हैं, अतः बेरोज़गार अथवा निजी क्षेत्र में कार्यरत अभ्यर्थी अयोग्य हैं अतः आवेदन न करें।

(दिनेश कोछड)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 23096521

संयुक्त सलाहकार अथवा उप-सलाहकार पद के लिए आवेदन का प्रपत्र
[प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) / पदोन्नति के लिए]

आवेदित पद: -----

(संयुक्त सलाहकार/उप-सलाहकार)

फोटो

1.	नाम और पता (साफ अक्षरों में) ईमेल आईडी: मोबाइल नं.
2.	जन्म तिथि (ईस्वी सन् में)
3.	i) सेवा में प्रवेश की तिथि ii) अधिकारी पर अनुप्रयोज्य सेवा नियमावली के तहत सेवानिवृत्ति की तारीख
4.	(क) यदि वह किसी संगठित सेवा से संबद्ध है तो उसका नाम, आवंटन वर्ष और संवर्ग (ख) संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी का नाम
5.	क्या पद के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं / पात्रता शर्तें पूरी करते हैं (यदि किसी अर्हता को नियमावली में निर्धारित किसी अर्हता के बराबर माना गया है, तो उसके लिए प्राधिकार बताएं)
	अपेक्षित अर्हता / अनुभव
	अधिकारी द्वारा धारित अर्हता / अनुभव
	अनिवार्य शैक्षिक अर्हता
	अनिवार्य धारित शैक्षिक अर्हता
	मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री या एमबीबीएस या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में डिग्री या इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) की संस्थागत परीक्षा के खंड 'ए' और 'बी' में उत्तीर्ण; या प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (द्विवर्षीय)
	मुख्य विषय के साथ डिग्री
	विश्वविद्यालय
	माह व उत्तीर्ण का वर्ष

वांछनीय शैक्षिक अर्हता	धारित वांछनीय शैक्षिक अर्हता		
किसी भी विषय में डॉक्टरेट या इंजीनियरी में मास्टर डिग्री	मुख्य विषय के साथ डिग्री	विश्वविद्यालय	माह व उत्तीर्ण का वर्ष
पात्रता शर्तें	वेतन स्तर	कब से (तारीख)	
<p>संयुक्त सलाहकार:</p> <p>(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 [78800-209200 रु.] या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात्, उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है।</p>			
उप-सलाहकार:	वेतन स्तर	कब से (तारीख)	
<p>(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 [67700-208700 रु.] या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात्, उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है।</p>			
अनिवार्य अनुभव:			
<p>संयुक्त सलाहकार: नीति, कार्यक्रम अथवा परियोजनाओं के निर्माण, मूल्यांकन, निष्पादन अथवा कार्यान्वयन, अनुसंधान, अनुवीक्षण और मूल्यांकन में न्यूनतम दस वर्षों का अनुभव (जिसमें पीएचडी के लिए तीन वर्ष की अवधि शामिल होगी)</p>			

	<p>किंतु इन तीन वर्षों को कार्य अनुभव में नहीं गिना जाएगा)।</p> <p>उप-सलाहकार: नीति, कार्यक्रम अथवा परियोजनाओं के निर्माण, मूल्यांकन, निष्पादन अथवा कार्यान्वयन, अनुसंधान, अनुवीक्षण और मूल्यांकन में न्यूनतम आठ वर्षों का अनुभव (जिसमें पीएचडी के लिए तीन वर्ष की अवधि शामिल होगी किंतु इन तीन वर्षों को कार्य अनुभव में नहीं गिना जाएगा)।</p>				
6.	कृपया स्पष्ट रूप से बताएं कि ऊपर आपके द्वारा की गई प्रविष्टियों के आलोक में, क्या आप पद के लिए अपेक्षित अनिवार्य अर्हताओं और कार्य अनुभव को पूरा करते हैं या नहीं।				
7.	कालक्रम में रोजगार का विवरण। अगर नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त हो तो अलग शीट पर विवरण दें जो आपके हस्ताक्षर द्वारा विधिवत प्रमाणित हो।				
कार्यालय / संस्था	नियमित आधार पर धारित पद	से (तारीख)	तक (तारीख)	* नियमित आधार पर धारित पद का वेतन बैंड और ग्रेड-वेतन/वेतनमान	आवेदित पद के लिए अपेक्षित अनुभव को उजागर करते हुए कर्तव्यों की प्रकृति (विस्तार से)

* महत्वपूर्ण: एसीपी / एमएसीपी / एनएफयू के तहत प्रदत्त वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अधिकारी के लिए व्यक्तिगत हैं और इसलिए, इसका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। केवल नियमित आधार पर धारित पद के वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान का उल्लेख किया जाए। जहां अभ्यर्थी द्वारा इस तरह के लाभ लिए गए हैं, वहां वर्तमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के साथ एसीपी / एमएसीपी / एनएफयू का विवरण निम्नानुसार दिया जाए:

कार्यालय / संस्था	एसीपी / एमएसीपी / एनएफयू योजना के तहत आहरित वेतन, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	से (तारीख)	तक (तारीख)

8.	वर्तमान रोजगार की प्रकृति यानी तदर्थ या
----	---

9.	यदि वर्तमान रोजगार प्रतिनियुक्ति / संविदा आधार पर धारित किया गया है, तो कृपया बताएं -	
	क) प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख	
	ख) प्रतिनियुक्ति / संविदा आधार पर नियुक्ति की अवधि	
	ग) मूल कार्यालय / संगठन का नाम जिससे आवेदक संबंधित है	
	घ) मूल संगठन में मूल क्षमता में धारित पद का नाम और वेतन	
	9.1 नोट: पहले से ही प्रतिनियुक्ति पर चल रहे अधिकारियों के मामले में, ऐसे अधिकारियों के आवेदनों को मूल संवर्ग/विभाग द्वारा संवर्ग निकासी, सतर्कता निकासी और सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र के साथ अग्रेषित किया जाना चाहिए।	
	9.2 नोट: ऊपर कॉलम 9 (ग) और (घ) के तहत सूचना उन सभी मामलों में दी जाए जहां कोई व्यक्ति संवर्ग / संगठन के बाहर प्रतिनियुक्ति पर पद धारण किए हुए हैं लेकिन फिर भी अपने मूल संवर्ग / संगठन में धारणाधिकार बनाए हुए हैं।	
10.	यदि आवेदक द्वारा विगत में प्रतिनियुक्ति पर कोई पद धारित किया गया था, तो अंतिम प्रतिनियुक्ति से वापसी की तारीख और अन्य विवरण	
11.	वर्तमान रोजगार के बारे में अतिरिक्त विवरण: कृपया बताएं कि किस के तहत काम कर रहे हैं (प्रासंगिक कॉलम के समक्ष अपने नियोक्ता का नाम इंगित करें)	
	क) केंद्र सरकार	
	ख) राज्य सरकार	
	ग) स्वायत्त संगठन	
	घ) सरकारी उपक्रम	
	ड) विश्वविद्यालय	
	च) अन्य	
12.	कृपया बताएं कि क्या आप नीति आयोग में काम कर रहे हैं और फीडर ग्रेड में हैं अथवा फीडर ग्रेड के फीडर में हैं ?	
13.	क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं ? यदि हां, तो जिस तारीख से संशोधन हुआ था वह तारीख बताएं और संशोधन-पूर्व वेतनमान भी इंगित करें	
14.	प्रति माह आहरित कुल परिलब्धियां वेतन बैंड में मूल वेतन + ग्रेड वेतन/पे मेट्रिक्स में वेतन	कुल परिलब्धियां

15	यदि आवेदक ऐसे संगठन से संबंधित है जो केन्द्र सरकार के वेतनमानों का पालन नहीं कर रहा है, तो निम्नलिखित विवरण दर्शाते हुए संगठन द्वारा जारी नवीनतम वेतन पर्ची संलग्न की जाए		
	वेतनमान के साथ मूल वेतन और वेतन वृद्धि की दर	महंगाई वेतन / अंतरिम राहत / अन्य भत्ते आदि (अलग अलग विवरण के साथ)	कुल परिलब्धियाँ
16क	<p>पद के लिए आपकी उपयुक्तता के समर्थन में आपके द्वारा आवेदित पद के लिए प्रासंगिक अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो।</p> <p>(अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के संबंध में सूचना प्रदान करें (i) अतिरिक्त शैक्षणिक अर्हताएं (ii) वृत्तिक प्रशिक्षण और (iii) रिक्ति परिपत्र / विज्ञापन में निर्धारित कार्य अनुभव के अतिरिक्त कार्य अनुभव)</p> <p>(नोट: यदि स्थान अपर्याप्त है, तो कृपया अलग कागज पर सूचना संलग्न करें)</p>		
16ख	<p>उपलब्धियाँ</p> <p>अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित से संबंधित जानकारी दें;</p> <p>i) अनुसंधान प्रकाशन और रिपोर्टें और विशेष परियोजना</p> <p>ii) पुरस्कार / छात्रवृत्ति / आधिकारिक सराहना</p> <p>iii) वृत्तिक निकायों / संस्थाओं / सोसाइटियों के साथ संबद्धता</p> <p>iv) अपने नाम से पंजीकृत पेटेंट या संगठन के लिए हासिल किए गए पेटेंट</p> <p>v) आधिकारिक मान्यता वाला कोई शोध / नवप्रवर्तनकारी उपाय</p> <p>vi) कोई अन्य सूचना।</p> <p>(नोट: यदि स्थान अपर्याप्त है तो एक अलग कागज संलग्न करें।)</p>		
17.	कृपया बताएं कि क्या आप प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)/पदोन्नति के लिए आवेदन कर रहे हैं		
18.	अ.जा. / अ.ज.जा. से संबंधित हैं या नहीं		

मैंने रिक्ति परिपत्र / विज्ञापन सावधानीपूर्वक पढ़ लिया है और मुझे अच्छी तरह ज्ञात है कि अनिवार्य अर्हताओं / कार्य अनुभव के संबंध में दस्तावेजों द्वारा विधिवत समर्थित जीवन-वृत्त में मेरे द्वारा दी गई सूचना का मूल्यांकन पद के लिए चयन के समय चयन समिति द्वारा भी किया जाएगा। मेरे द्वारा प्रदान की गई सूचना / विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य और सही है और मेरे चयन पर असर डालने वाले किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को दबाया / रोका नहीं गया है।

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

तिथि: _____

पता: _____

नियोक्ता / संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन

आवेदक द्वारा उपरोक्त आवेदन में दी गई सूचना / विवरण रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार सत्य और सही हैं। इनके पास रिक्ति परिपत्र में उल्लिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं। चयन होने पर इन्हें तुरंत (अथवा एक माह के भीतर) नये कार्यभार हेतु कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि:

- i) श्री/ श्रीमती / सुश्री..... के विरुद्ध कोई सतर्कता या अनुशासनात्मक मामला लंबित / विचाराधीन नहीं है।
- ii) इनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित की जाती है।
- iii) इनका सीआर डोसियर मूल रूप से संलग्न है/भारत सरकार के अवर सचिव स्तर या इससे उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा विधिवत् अनुप्रमाणित पिछले 05 वर्ष की एसीआर/एपीएआर की फोटोकॉपियां संलग्न हैं।
- iv) पिछले 10 वर्षों के दौरान इन पर कोई बड़ी/छोटी शास्ति नहीं लगायी गई है या पिछले 10 वर्षों के दौरान इन पर लगायी गई बड़ी / छोटी शास्तियों की सूची संलग्न है (जैसा भी मामला हो) ।

हस्ताक्षर: _____

नाम: _____

पदनाम: _____

अधिकारी की मुहर: _____